



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पंचम

फरवरी-अप्रैल, 2020 सत्र

वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या – 28, 13, 14, 16, 54, 23, 40, 45, 75, 57

मांग संख्या – 30, 80, 19, 79, 7, 50

मांग संख्या – 24, 67, 76, 3, 4, 5, 51, 37 से संबंधित

भाग - एक

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र. मा. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	निर्धारित समय
1. श्री रविन्द्र चौबे	28 13 14 16 54 23 40 45 75 57	राज्य विधान मण्डल कृषि पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय मछलीपालन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय जल संसाधन विभाग आयाकट विभाग से संबंधित व्यय लघु सिंचाई निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2 घंटे
2. श्री टी.एस. सिंहदेव	30 80 19 79 7 50	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (जीएसटी) बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	2 घंटे 30मिनट
3. श्री ताम्रध्वज साहू	24 67 76 3 4 5 51 37	लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल लोक निर्माण कार्य – भवन लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं पुलिस गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय जेल धार्मिक न्यास और धर्मस्व पर्यटन	2 घंटे 30मिनट

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी–अप्रैल, 2020 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2020–2021 के आय–व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये हैं।

चन्द्र शेखर गंगराड़
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

**वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव
भाग – एक में समिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों
के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–**

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
 2. डॉ. रमन सिंह
 3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
 4. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
 5. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
 6. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
 7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
 8. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
 9. श्री अजीत जोगी, सदस्य
 10. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य
 11. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
 12. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
 13. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
 14. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
 15. श्री डमरुधर पुजारी
 16. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
 17. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
 18. श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य
-

मांग संख्या— 28
राज्य विधान मण्डल

मतदेय राशि

रूपये 62,11,63,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 47

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या— 13

कृषि

मतदेय राशि

रूपये 40,50,06,38,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 14

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विधान सभा क्षेत्र बिल्हा जिला बिलासपुर अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) बिलासपुर में महिलाओं के लिये फल, सब्जी हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) विधान सभा क्षेत्र बिल्हा में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) विधान सभा क्षेत्र बिल्हा के अनेक ग्रामों में गौवन की व्यवस्था करने का प्रावधान नहीं है।
- (5) पथरिया जनपद में कृषक सहायता केन्द्र कार्यालय खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) हर ब्लॉक में 100 एकड़ जमीन पर उद्यानिकी बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में मंडी शुल्क समाप्त करने संबंधी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में किसान आयोग का गठन करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) केन्द्रीय उद्यानिकी नीति लागू करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रत्येक ब्लॉक में फूड पार्क की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) किसानों के खाते में सीधे सबसीडी देने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रत्येक ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज के लिये अनुदान का उल्लेख नहीं है।
- (5) मंडी विकास समिति के गठन का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) सहकारी दुग्ध समितियों को उन्नत नस्ल की दुधारू गायें उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (7) मंडी शुल्क की समाप्ति का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) कृषि शिक्षा स्कूलों में प्रारंभ करने का प्रावधान बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (9) किसान पेंशन योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (10) किसान आयोग की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (11) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कृषि कर्ज माफ करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (12) गौ—शालाओं को समय पर अनुदान प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (13) प्रत्येक ब्लॉक में 10 एकड़ बंजर भूमि पर उद्यानिकी पायलेट प्रोजेक्ट की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मुंगेली विकासखण्ड में कृषि संबंधी नवीन कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देने की कोई नीति का उल्लेख नहीं है।

6. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में कृषि उपज मंडी कर समाप्त किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में प्रत्येक विकासखण्ड में कोल्ड स्टोरेज हेतु अनुदान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) किसानों को किफायती दामों पर गुणवत्तयुक्त उर्वरक प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।
- (2) कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना कर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रावधान नहीं है।
- (3) किसानों के फसल उत्पादन में वृद्धि करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (4) औषधीय एवं सुगंधित फसलों के विस्तार, प्रशिक्षण, सब्सिडी, मार्केटिंग के लिये पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
- (5) किसानों के विभिन्न बैंक में के.सी.सी. लोन को माफ करने की योजना एवं दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन कर्ज प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।
- (6) धान का बकाया बोनस भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
- (7) रबी फसल की धान खरीदी करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) लावारिस मवेशियों के विषय में कोई उल्लेख नहीं है।
- (9) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में खाद गुणवत्ता प्रयोगशाला बनाने का प्रावधान नहीं है।
- (10) भाटापारा कृषि महाविद्यालय का विस्तारीकरण करने का प्रावधान नहीं है।
- (11) भाटापारा कृषि महाविद्यालय में हॉस्टल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (12) प्रदेश में 300 रूपये विवंटल धान का बोनस देने का प्रावधान नहीं है।
- (13) भाटापारा में धान के बीज प्रसंस्करण केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (14) कृषि उद्योग में सब्सिडी प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (15) भाटापारा में नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (16) आदिवासी परियोजना में भाटापारा, सिमगा क्षेत्र के किसानों को शतप्रतिशत अनुदान वाले ट्यूबवेल की सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (17) भाटापारा दाऊ कल्याण सिंह कृषि महाविद्यालय में स्नातकोत्तर के नये विषय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (18) कृषि क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु लक्ष्य बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) गौठान योजना को सफल बनाने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) धान के बकाया बोनस राशि के भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) फसल चक्र अपनाकर आमदनी बढ़ाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान नहीं है।
- (5) परम्परागत खेती के अलावा कैश क्राफ्ट को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।
- (6) औषधीय, सुगंधित व नगदी फसल हेतु निःशुल्क बीज वितरण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (7) मरवाही क्षेत्र में कृषि से संबंधित उद्योग की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
- (8) किसानों को निःशुल्क कृषि उपकरण प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।
- (9) उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।
- (10) कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (11) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जदार कृषकों को पूर्ण कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है।
- (12) पंजीयन से वंचित किसानों को धान खरीदन की योजना का उल्लेख नहीं है।
- (13) टमाटर एवं अन्य बागवानी फसलों को “बाजार हस्तक्षेप योजनांतर्गत” खरीदने का उल्लेख नहीं है।
- (14) किसानों को सब्सिडी में उर्वरक देने का उल्लेख नहीं है।
- (15) ग्रीष्म कालीन धान को समर्थन मूल्य पर खरीदने का उल्लेख नहीं है।
- (16) राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना का उल्लेख नहीं है।
- (17) प्रत्येक ब्लॉकों में “फूड प्रोसेसिंग यूनिट” खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (18) उच्च गुणवत्ता के खाद, बीज, दवाईयां सहजता एवं किफायती दामों पर उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (19) गौ—सेवकों के नियमितिकरण करने का उल्लेख नहीं है।
- (20) दलहन, तिलहन, उद्यानिकी फसल को मण्डी में खरीदने का प्रावधान नहीं है।
- (21) किसानों के खेत का एक—एक दाना खरीदने का उल्लेख नहीं है।
- (22) सभी ब्लॉक में शासन द्वारा कोल्ड स्टोरेज खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (23) किसानों के खून पसीने से उपजी धान फसल को भण्डारण के समुचित उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (24) किसानों की आमदनी दो गुनी करने का प्रावधान नहीं है।
- (25) सब्जी का समर्थन मूल्य तय करने का उल्लेख नहीं है।
- (26) आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों के जीविकोपार्जन की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
- (27) निजी लोगों से ऋण लेने वाले किसानों की कर्जमाफी का उल्लेख नहीं है।
- (28) जन घोषणा पत्र में किये गये वायदे के अनुसार कृषि कार्य को मनरेगा से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
- (29) ओला वृष्टि एवं वारिस से रबी फसल को हुए नुकसान के भरपाई का उल्लेख नहीं है।
- (30) पटवारी रिकार्ड में दर्ज भूमि को स्वयंमेव पंजीकृत माने जाने का उल्लेख नहीं है।

9. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विकासखण्ड कोटा के ग्राम पंचायत करगीकला में कृषि संकाय महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) इस वर्ष की खरीफ फसल हेतु पंजीकृत किसानों व टोकन कटने के बाद भी धान नहीं बेच पाये किसानों को अतिरिक्त समय देने का उल्लेख नहीं है।
- (2) दो वर्ष का बकाया बोनस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) किसानों के रबी फसल की धान खरीदी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

11. श्री उमरुद्धर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मोहुलकोट विकासखण्ड देवभोग, जिला गरियाबंद में धान मंडी खोलने का प्रावधान नहीं है।
- (2) कनसिंधी विकासखण्ड छुरा, जिला गरियाबंद में धान मंडी खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) उरमाल विकासखण्ड मैनपुर, जिला गरियाबंद में धान मंडी में कार्यालय भवन निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) विधान सभा बिन्द्रानवागढ़ अंतर्गत गरियाबंद में कोल्ड स्टोरेज खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 14

पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम पंचायत मंगला (पांसीद) बिल्हा में पशु औषधालय खोले जाने का प्रावधान नहीं है।
(2) ग्राम पंचायत भटगांव बिल्हा में पशु औषधालय निर्माण किये जाने का प्रावधान नहीं है।
(3) बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहतय में पशु औषधालय खोले जाने का प्रावधान नहीं है।
(4) बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम भटगांव में पशु चिकित्सालय का प्रावधान नहीं है।
(5) ग्राम पंचायत पथरगढ़ी, पथरिया में पशु औषधालय खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की सहकारी समितियों द्वारा दुधारू गाय वितरण करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

लावारिस पशुओं से "कृषि" की सुरक्षा हेतु कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पशुपालन पर पूंजी परिव्यय की पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

5. श्री पुन्नलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मुंगेली विधानसभा में पशुपालन हेतु नवीन कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीणों को उन्नत किस्म के पशुओं की खरीदी के लिये अनुदान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
(2) गौ—सेवा केन्द्रों में गायों के लिये पर्याप्त आहार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
(3) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
(4) बकरीपालन, कुकुट पालन, सुअर पालन करने के लिये एवं उनके रख—रखाव के लिये कारगर योजना का प्रावधान नहीं है।
(5) भाटापारा में गौ—सेवा केन्द्र खोले जाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
(6) भाटापारा विकासखण्ड में पशु औषधालय में पशु चिकित्सालय में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
(7) भाटापारा विकासखण्ड में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) गौपालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु किसानों को प्रोत्साहन राशि का उल्लेख नहीं है।
- (2) गौशालाओं में गायों की उचित देखरेख का उल्लेख नहीं है।
- (3) पकरिया में संचालित पशु प्रजनन केन्द्र के उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
- (4) पशु पालकों को आर्थिक सहायता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) निजी पशुओं के बीमा किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (6) युवाओं को डेयरी जैसी योजना से लाभान्वित करने व रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।
- (7) पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (8) सुअर पालन को बढ़ावा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (9) बकरी पालन को बढ़ावा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (10) पशु वधगृह शहर की आबादी से दूर स्थापित किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (11) फूट एण्ड माउथ डिसीज के नकली इंजेक्शन सप्लायर पर कार्यवाही करने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बेलतरा विधान सभा के ग्राम मटियारी में पशु औषधालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 16

मछलीपालन

मतदेय राशि

रुपये 70,05,98,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 36

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रुपये की कमी की जावे.

ग्राम पंचायत भोजपुरी विकास खण्ड बिल्हा में हेचअरी सेन्टर/केन्द्र के उन्नयन हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

“नील क्रांति” पर कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

मीन उद्योग पर पूंजी परिव्यय की राशि पर्याप्त नहीं है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) मछलीपालन को बढ़ावा देने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (2) मछलीपालन का व्यवसाय करने वाले परिवारों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) मत्स्य पालकों को उचित समय पर उच्चकोटी के मछली बीज निःशुल्क प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में मछलीपालन के विकास के लिये राशि प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

5. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) गगनई जलाशय में संचालित मत्स्य बीज प्रजनन केन्द्र के विकास का उल्लेख नहीं है।
- (2) चौरसिया बांध में संचालित मत्स्य बीज केन्द्र के विकास का उल्लेख नहीं है।
- (3) मछली पालक परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (4) मछली पालकों को हाईटेक प्रशिक्षण दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) जलाशय संचालन करने वाले महुवा सहकारी सोसायटियों को निःशुल्क मछली बीज उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (6) अनुसूचित क्षेत्रों के मत्स्य पालकों की लीज राशि माफ किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (7) मछली पालन को बढ़ावा देने वाली कार्य योजनाओं का उल्लेख नहीं है।
- (8) जय बजरंग मछुवा सहकारी समिति मर्यादित बंधी (ऐपड़ा) से जबरिया सहमति पत्र लेने का दबाव बनाने वाले बिलासपुर के उपपंजीयक पर कार्यवाही किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (9) मछली पालकों को हो रहे “हांथी पॉव” बीमारी की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 54

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 2,38,50,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 14

1 . श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

बिल्हा विधान सभा में कृषि महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कृषि शिक्षा और अनुसंधान में छत्तीसगढ़ के पिछड़ेपन को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) किसानों को पर्याप्त संख्या में नई तकनीक से प्रशिक्षण प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रत्येक विकासखण्ड में फूड पार्क स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) कृषि उत्पादन को बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) टपक पद्धति को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) कृषि वैज्ञानिकों को अनुसंधान हेतु बढ़ावा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री उमरुधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) गरियाबंद जिले में मक्का प्रसंस्करण इकाई आरंभ किया जाने का प्रावधान नहीं है।
- (2) देवभोग विकासखण्ड जिला गरियाबंद में कृषि महाविद्यालय प्रारंभ किया जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 23
जल संसाधन विभाग

मतदेय राशि

रूपये 10,61,68,53,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 31

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बिल्हा विकास खण्ड अंतर्गत ग्राम निपनिया नाले पर स्टॉपडेम का हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम योरहाभैना में चारागाह के पास नाले पर स्टॉपडेम निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) ग्राम तोता विरत पथरिया में एनीकट नवीनीकरण हेतु का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम नंवकिरारी से उमरिया नाले पर स्टॉपडेम निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (5) बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम करही में नाले पर स्टॉपडेम निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम पाकी खुर्द नदियों का तटबंध किये जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) ग्राम लिटिया में टारबांध जीर्णोद्धार हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) ग्राम उसरीबोड़ में एनीकट निर्माण (खरखरा) हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) भू—जल स्तर में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) जल उपभोक्ता संघों को किसी भी प्रकार का अधिकार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) सिंचित क्षेत्र को दोगुना करने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) महानदी पर मोहमेला सिरपुर बैराज निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मुंगेली विकासखण्ड में जल संसाधन संबंधी नवीन कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) भाटापारा शाखा नहर के मुख्य केनाल के 45 से 85 तक लाईनिंग हेतु राशि उपलब्ध करने का प्रावधान नहीं है।
- (2) सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) जल उपयोगिता प्राथमिकता तय करने वाले कानून बनाने का प्रावधान नहीं है।
- (4) भाटापारा शाखा नहर के लाईनिंग का कार्य करने का प्रावधान नहीं है।
- (5) भाटापारा में सिंचाई व्यवस्था हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई परियोजना के नाम पर कोई प्रावधान नहीं है।
- (7) प्रदेश में नहरों की स्थिति जर्जर है जिसके मरम्मत हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।

6. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सिंचाई क्षमता बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) नदी जोड़ो योजना के क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।
- (3) जल उपयोगिता कानून बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) बांधों में जल भराव हेतु कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेंट किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) मरवाही क्षेत्र के जलाशयों से सिल्ट सफाई किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (6) घोड़देवा जलाशय के नहरों का विस्तार किया जाने का उल्लेख नहीं है।
- (7) सभी नहरों को पक्का करने का उल्लेख नहीं है।
- (8) बंटी बहेरा पेण्ड्रा में तिपान नदी में एनीकट बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (9) कोलबिरा मध्यम परियोजना मरवाही क्षेत्र में डुबान में आने वाले वन क्षेत्रों का जल्दी विलयरेंस देने का उल्लेख नहीं है।
- (10) नदियों में प्रदूषित पानी जाने से रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

7. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सेमरहा जलाशय के मरम्मत करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) कुम्हारी डायवर्सन मरम्मत करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) पीथमपुर लक्ष्मण घाट पर स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) गहरना नाला मझगांव पर एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) पनकोटा के बरनाला पर स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) दर्दी डायवर्सन के नहर एवं बांध के मरम्मत करने का उल्लेख नहीं है।
- (7) नदियों के किनारे कटाव रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (8) हसदेव नदी को अरपा नदी से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
- (9) आमानाला को मलनिया में जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
- (10) पोलावरम बांध निर्माण रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (11) कन्हर बांध निर्माण रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (12) सौरा, औरापानी, रेनकोटा जलाशय से नहर निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (13) आमानाला पर एनीकट निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (14) जोगी डोंगरी जलाशय के नहर कार्य को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
- (15) हर्राटोला जलाशय के नहर में आये किसानों को भूमि का मुआवजा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (16) मलनिया जलाशय के सम्पूर्ण नहर की लाईनिंग कार्य करने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री उमरुधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कुमड़ी तेल नदी विकासखण्ड देवभोग जिला गरियाबंद में तटबंध का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) पोड़पारा ढोकरेल नाला विकासखण्ड मैनपुर जिला गरियाबंद में एनीकट निर्माण किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

9. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अहरिन नदी से खारंग जलाशय में पाईप लाईन द्वारा पानी लाने का प्रावधान नहीं है।
- (2) बेलतरा विधान सभा के असिंचित क्षेत्र बेलतरा बामू टेकर, नेवला, गिधौरी, मिलमी, भाड़ी, अकलतरी, गढ़वर ग्रामों को लिदर सिंचाई से सिंचित करने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

गंगरेल बांध से कुम्हारी जलाशय व मानपुर जलाशय में पानी भराव हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

11. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) धमतरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मुजगहन में सिंचाई सुविधा हेतु कोई का प्रावधान नहीं है।
- (2) धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आर.डी के छाया तट फिल्ड चैनल निर्माण, ग्राम पीपरछेड़ी में सिंचाई सुविधा हेतु कोई का प्रावधान नहीं है।
- (3) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बैक उचिकरण ग्राम मुजगहन में सिंचाई हेतु कोई का प्रावधान नहीं है।
- (4) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पालेश्वर डॉगेश्वर धाम देवपुर महानदी तटपर तटबंध निर्माण करने हेतु कोई का प्रावधान नहीं है।
- (5) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गंगरेल से कोटाभर्णी में वृहद पुल निर्माण करने का प्रावधान नहीं है।
- (6) महानदी मुख्य नहर की वितरक शाखा क्रमांक 2 के 500 मीटर तक लाईनिंग व पक्की संरचनाओं का निर्माण करने का प्रावधान नहीं है।
- (7) महानदी मुख्य नहर की वितरक शाखा क्रमांक 2 के 5000 मीटर से 8600 मीटर तक लाईनिंग व पक्की संरचनाओं का निर्माण करने का प्रावधान नहीं है।
- (8) महानदी मुख्य नहर की वितरक शाखा क्रमांक 2 के आर.डी. 5000 मीटर से 8000 मीटर तक लाईनिंग व पक्की संरचनाओं का निर्माण करने का प्रावधान नहीं है।
- (9) हेड वर्क्स सिंचाई कॉलोनी निरीक्षण गृह रुद्री तथा छाती कॉलोनी के आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों में बाउंड्रीवाल निर्माण करने का प्रावधान नहीं है।
- (10) महानदी मुख्य मार्ग के आर.डी. पर रेग्युलेटर तथा 2.40 कि.मी. की नहर निर्माण हेतु ग्राम मोड़रा पीपरछेड़ी सोकम के असिंचित भूमि में सिंचाई हेतु कार्ययोजना का प्रावधान नहीं है।
- (11) महानदी मुख्य के आर.डी. 18300 मी. के पास फाल संरचना का निर्माण करने का प्रावधान नहीं है।
- (12) महानदी मुख्य के आर.डी. 7000 मी. से 10400 मी. एवं 14500 मी. के डाउन स्ट्रीम में सुरक्षा कार्य हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।
- (13) महानदी मुख्य नहर के आर.डी. 370 मी. से 1000 मी. तक लाईनिंग एवं मरम्मत कार्य हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।
- (14) महानदी मुख्य नहर के आर.डी. 10000 मी., 15000 मी. के लाईनिंग कार्य हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।
- (15) महानदी मुख्य नहर के वितरक शाखा क्रमांक-2 अ के साजा जाईनर 0 से 6 कि.मी. की लाईनिंग कार्य हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।

- (16) लिमतरा उद्दवहन योजना के मुख्य नहर एवं शाखा नहर की लाईनिंग हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (17) महानदी मुख्य नहर के के.आर.डी. 18500 मी. में रिटनिंग वॉल का निर्माण कार्य हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।
- (18) महानदी मुख्य नहर के के.आर.डी. 18500 मी. से 18650 मी. में रिटनिंग वाल का निर्माण कार्य हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।

12. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के भवंतरा के कंघीनाला में ऐनीकट निर्माण करने का प्रावधान नहीं है।
- (2) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के मुड़पार के कंघीनाला में ऐनीकट निर्माण करने का प्रावधान नहीं है।

13. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा विकासखण्ड में कटघरी बांध के गहरीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (2) जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा विकासखण्ड के बरबसपुर बांध के गहरीकरण का प्रावधान नहीं है।
- (3) जांजगीर-चांपा जिले में बलौदा विकासखण्ड के सनीचरा बांध के गहरीकरण का प्रावधान नहीं है।
- (4) जांजगीर-चांपा जिले में बलौदा विकासखण्ड के ठरगा बहरा बांध के गहरीकरण का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 40

आयकट विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रुपये 1,20,84,55,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 31

1. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) पुराने एनीकट निर्माण पश्चात् मरम्मत कार्य हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।
- (2) किसानों को सिंचाई हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पक्की नालियों के निर्माण करने का प्रावधान नहीं है।
- (3) शिवनाथ नदी आयाकट क्षेत्र के विकास के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।

2. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

वनों से बहने वाली नदियों पर स्टॉपडेम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 45
लघु सिंचाई निर्माण कार्य

मतदेय राशि

रूपये 4,48,59,80,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 31

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) 44000 किसानों को पम्प कनेक्शन दिये जाने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) दुर्गड़ीह उद्वहन सिंचाई योजना से मंगला में नहर निर्माण किये जाने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना में गंभीरता कराने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय की पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) शाकम्भरी योजना के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।
- (2) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना हेतु राशि का उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मरवाही विधान सभा क्षेत्र में नई लघु सिंचाई परियोजना को स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (2) सूक्ष्म सिंचाई परियोजना अमेरा टिकरा एनीकट में स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

5. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम मुड़पार विकास खण्ड मालखरौदा में बोराई नदी पर स्टॉपडेम का उल्लेख नहीं है।
- (2) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के धनवार पारा (सलकी) में बोराई नदी पर स्टॉपडेम का उल्लेख नहीं है।
- (3) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम लखुरी के जमड़ी नाले पर स्टॉपडेम का उल्लेख नहीं है।
- (4) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम कोनियापार के जमड़ीनाला पर स्टॉपडेम का उल्लेख नहीं है।
- (5) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम करनौड के हसदेव नदी पर एनीकट निर्माण का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 75

जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मतदेय राशि

रुपये 6,97,31,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 31

1. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे।
नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
2. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे।
जांजगीर-चांपा और बिलासपुर जिले के मध्य कूटी घाट में लीलागर नदी पर पुल चौड़ीकरण का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 57

जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मतदेय राशि

रुपये 1,00,00,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 31

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या— 30

पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 39,25,32,09,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 22

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम पंचायत हरदीकला में अटल समरसता भवन का प्रावधान नहीं है।
- (2) ग्राम पंचायत सोढ़ी भराडी में पंचायत भवन निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) मर्कोना नवीन ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का प्रावधान नहीं है।
- (4) ग्राम पंचायत बेलटुकरी चतुर्भुत मंदिर के पास धर्मशाला निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (5) ग्राम पंचायत पड़ियाईन में अटल समरसता भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (6) ग्राम पंचायत सेवांर में अटल समरसता भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (7) ग्राम पंचायत बरतोली में अटल समरसता भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (8) ग्राम पंचायत दगोरी में अटल समरसता भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (9) ग्राम पंचायत बरतोली में मिनी स्टेडियम निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (10) ग्राम पटपर में मिनी स्टेडियम निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (11) ग्राम पंचायत सांवा में मिनी स्टेडियम निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (12) बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहतरा में पुलिया, मोहतरा से खपरी मार्ग निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (13) बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहतरा में पटिला नाला सौंदर्यीकरण, मार्ग निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (14) बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पोड़ी में गधीया तालाब में सौंदर्यीकरण का प्रावधान नहीं है।
- (15) बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सोनपुरी में सोनपुरी नवागांव नाले पर पुलिया निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (16) बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम कुआंपाली में कुआंपाली खम्हारडीह मार्ग पर पुलिया निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (17) बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बुंदेला में नया तालाब के पास पुलिया निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (18) ग्राम पंचायत सोढ़ी भराडी में नल जल योजना का प्रावधान नहीं है।
- (19) ग्राम पंचायत हरडी कला से पोड़ी पंचायत मुख्यालय सड़क निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (20) ग्राम फुन्दा से बोहारडीह कुआ ग्राम पंचायत जोड़ने प्रधानमंत्री सड़क योजना का कोई प्रावधान नहीं है।
- (21) छिंदभोग पंचायत में पानी की टंकी निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (22) बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम चुराघाट में कल्याण सागर तालाब में सौंदर्यीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (23) बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम घोघरा में महामाया तालाब का सौंदर्यीकरण का प्रावधान नहीं है।
- (24) बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम देवकिरारी में राम सागर तालाब का सौंदर्यीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

- (25) बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत घुड़िया तालाब भटगांव में सौंदर्यकरण का प्रावधान नहीं है।
- (26) बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम मोहतरा में जय बुढ़ादेव तालाब में सौंदर्यकरण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (27) बिल्हा ब्लॉक अंतर्गत बिटकुली तालाब का सौंदर्यकरण का प्रावधान नहीं है।
- (28) ग्राम पंचायत सिलदहा में अटल समरसता भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम बागतराई में वार्ड कमांक 1 से 9 तक पाईप लाईन विस्तार, निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (2) ग्राम देवादा में आंगनबाड़ी कमांक 2 निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) ग्राम भोड़िया (ढोड़िया) में मिनी स्टेडियम निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (4) ग्राम जंगलेसर में पानी टंकी निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (5) प्रदेश में मितानिनों को 5000/-रूपये मासिक प्रदान किये जाने संबंधी उल्लेख नहीं है।
- (6) ग्राम भोथीपार में मिनी स्टेडियम निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (7) ग्राम रेखाकठेरा में मंगल भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (8) ग्राम पारीखुर्द में व्यवसायिक परिसर निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (9) ग्राम देवादा में मंगल भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (10) ग्राम पाकीखुर्द में मंगल भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (11) ग्राम पाकीखुर्द में गार्डन सह ओपन जिम निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (12) ग्राम पाकीखुर्द में आंगनबाड़ी एक, दो और तीन का जीर्णोद्धर हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (13) ग्राम देवादा में मिनी स्टेडियम निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (14) ग्राम भोथीपार में मिडिल स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (15) ग्राम उसरीबोड़ में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (16) ग्राम लिटिया में महिला घाट निर्माण एवं पचरीकरण निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (17) ग्राम लिटिया में पंचायत में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिये कोई प्रावधान नहीं है।
- (18) ग्राम लिटिया में व्यवसायिक परिसर निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (19) विद्या मितानिनों को नियमित किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (20) नक्सल प्रभवित पंचायतों को एक-एक करोड़ रूपये प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (21) ग्रामीण गरीबों के आवास एवं बाड़ी के लिये जमीन दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (22) ग्राम रखेली (खैरा) में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. श्री ननकी राम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पंचायतों के कार्य को बिना टेन्डर के पंचायत से भिन्न व्यक्ति द्वारा किये जाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पंचायत क्षेत्र में मजदूर कल्याण की अधिकांश योजनाएं बंद है।
- (2) हर गांव में महिला सामुदायिक भवन के लिए बजट नहीं है।
- (3) मनरेगा विस्तार की कोई योजनाएं नहीं है।
- (4) मितानिनों का मानदेय 5000 रूपये मासिक वेतन करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग में सड़क व पुल निर्माण हेतु राशि में भारी कमी की गई है।
- (2) जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत को अनुदान प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जिला मुख्यालय जांजगीर में किसानों के लिये किसान सदन (विश्राम गृह) निर्माण का उल्लेख नहीं है।

7. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बचरवार से कोटखरा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) कोटखरा से बंटी बहेरा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) लटकोनी से अमरपुर तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) गिरवर से तेन्दूपारा सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) तेन्दूमूड़ा से जुनवानी मार्ग पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) अधिंयारखोह से दोनिया पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) रोजगार सहायकों के नियमितिकरण का उल्लेख नहीं है।
- (8) मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिलने पर भत्ता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (9) विधायक आदर्श ग्राम विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (10) सेवाकाल के दौरान आकस्मिक मृत हो चुके शिक्षा कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (11) सेवा समाप्त कर दिये गये आवास मित्रों को पुनः बहाल करने का उल्लेख नहीं है।
- (12) अण्डी से सेंवरा पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (13) अमरपुर से गिरारी पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (14) बरगावां से राजाडीह पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (15) सिलपहरी से बघरा पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (16) धनौली से बघरा टोला सड़क मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (17) तेन्दूमूड़ा, गौरेला से अनुसूचित जाति मोहल्ला पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (18) सिलपहरी से सालहेकोटा तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (19) पेणझा -बसंतपुर मुख्यमार्ग से गिरारी पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

- (20) कोरजा से बालधर तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (21) पण्डरी से धरहर पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (22) नाका से सेमरदर्री पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (23) चरचेड़ी से धरहर पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (24) लरकेनी से मडवाही पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (25) बिलाईडांड से सकड़ा पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (26) सेमरदर्री से सकड़ा पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (27) मरवाही तहसील के पास से डी. ए. व्ही. पब्लिक स्कूल तक पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (28) सचराटोला से राजाड़ीह पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (29) धोबहर से तौली पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (30) साल्हेकोटा से रटगा पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (31) सचराटोला से मडवाही पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (32) भर्राडांड से देवरीडांड पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (33) अडभार से बगड़ी पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (34) करौदानार से देवरीखुर्द पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (35) बसंतपुर से बिलासपुर मुख्यमार्ग से सोनबचरवार पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (36) बसंतपुर से नवागांव पहुंच मार्ग (आंतरिक सड़क) निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (37) अडभार से बचरवार पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (38) ग्राम बंधी से चौबैपारा पेण्ड्रा पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (39) ग्राम बंधी से अडभार पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (40) ग्राम पतगांव से अडभार पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (41) ग्राम अडभार से कुड़कई पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (42) ग्राम बगरार से झिरिया टोला पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (43) ग्राम बचरवार से बगड़ी पहुंच मार्ग व्हाया बार होते हुये निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (44) ग्राम अडभार से व्हाया बगड़ी बांध होते हुए दुबटिया पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (45) ग्राम कुड़कई से बरधाट तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (46) ग्राम गिरारी से झाबर तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (47) गोरखपुर मुक्तिधाम से बेलगहना तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (48) सतोकपुर से पेण्ड्रा तक सड़क निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (49) बचरवार—बगड़ी मुख्यमार्ग से कनईनार पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (50) कटगी से ढपलीपानी सड़क मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (51) ग्राम रानीझाप से खोड़री रेल्वे स्टेशन तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

- (52) बंटी बहेरा बचरवार से बचरवार –कोटखर्रा मार्ग तक सड़क निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (53) कोरजा बालधार से गांगपुर तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (54) ग्राम कमगा से खोड़री पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (55) तिलोरा से बहरीझोरखी तक पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (56) दमदम से खोड़री पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (57) गुल्लीडांड से चिलहन–कटरा तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (58) पड़रिया से अमाक तक सड़क निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (59) बसंतपुर–बिलासपुर मुख्यमार्ग से तिनखुटटी से सोनकुण्ड आश्रम तक पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (60) सिवनी चंगेरी मुख्यमार्ग से पथरी पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (61) ग्राम मटियाडांड बरतिराहा से अमेरा टिकरा तक सड़क मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (62) मटियाडांड से नाका पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (63) ग्राम पिपलाभार से विशेसरा पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (64) झगराखाण्ड से बांधाटोला पुलिया तक पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (65) अमरपुर बिलासपुर से बच्छाटोला व्हाया गांधीपुर पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (66) डाहीबहरा से बाबाटोला मार्ग में पुलिया निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (67) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में बकाया मजदूरी राशि के भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (68) जनपद एवं जिला पंचायत सदस्यों की निधि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
- (69) मितानिनों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

8. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मुख्यमंत्री सड़क–ठांडपथरा एवं केंवची ग्राम पंचायत के मध्य— 31 किमी के निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) सिरसहा ग्राम पंचायत में मनपहरी ग्राम पंचायत तक मुख्यमंत्री सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

9. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम बैजलपुर से ग्राम खपरीकला विकासखण्ड लोरमी जिला मुंगेली के प्रधानमंत्री सड़क की मरम्मत किये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (2) ग्राम गोड़खाम्ही विकासखण्ड लोरमी जिला मुंगेली को नगर पंचायत का दर्जा देने एवं बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को नियमित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर चांपा जिले में बलौदा नगर में बंधवा तालाब गहरीकरण किये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (2) जांजगीर चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के ग्राम जर्वे (ब) में बंधवा तालाब गहरीकरण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

12. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत बेलतरा व पौसरा को नगर पंचायत बनाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 80

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि

रूपये 28,24,54,21,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 22

1. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जनपद पंचायतों की सहायता राशि पर्याप्त नहीं है।
- (2) सुराजी गांव अंतर्गत राशि आबंटन में भारी मात्रा में कमी की गई है।

2. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) पंचायतों को समय पर आवश्यक राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (3) जनपद पंचायत अध्यक्ष को वित्तीय अधिकार देने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 19
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
रूपये 2
टाट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 17

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे।
 - (1) विकासखण्ड पथरिया अंतर्गत ग्राम तोता में उपस्थास्थ केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
 - (2) नगर पंचायत पथरिया में मितानिनों के लिये सर्वसुविधायुक्त भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
 - (3) सोढ़ी मराठी ग्राम पंचायत में मिनी पी.एस.एसी. खोलने का उल्लेख नहीं है।
 - (4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेसखुटी में भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
 - (5) ग्राम पंचायत बदरा (ठ) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
 2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।
मेडिकल कॉलेजों में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों में परिवर्तन करने का उल्लेख नहीं है।
 3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।
 - (1) महतारी सम्मान योजना प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
 - (2) यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
 - (3) 108 एम्बुलेंस की सुविधा बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
 - (4) 4 हजार ए.एन.एम. और 3 हजार स्टाफ नर्स की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
 4. श्री पुन्नलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।
 - (1) मुंगेली विधान सभा में नवीन चिकित्सालय प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
 - (2) विकासखण्ड मुंगेली में चिकित्सा विशेषज्ञ की पदस्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
 5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।
भाटापारा में 100 बिस्तरों के अस्पताल भवन निर्माण के लिये कोई उल्लेख नहीं है।
 6. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे।
प्रदेश सहित जांजगीर-चांपा के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों (अस्पतालों) में रिक्त पड़े डाक्टरों/नर्सों एवं कम्पाउंडरों के पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) संविदा में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को नियमिति करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) मरवाही, पेण्ड्रा तथा गौरेला ब्लॉक अंतर्गत समस्त पी.एच.सी. एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र में अहाता निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) सी.एच.सी. मरवाही में अहाता निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) उपस्वास्थ्य केन्द्र अंधियारखोह के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) उपस्वास्थ्य केन्द्र धनौली को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) उपस्वास्थ्य केन्द्र अण्डी (मरवाही) को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
- (7) सी.एच.सी. मरवाही को 30 बिस्तर से 50 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
- (8) सेनेटोरियम पेण्ड्रारोड़ में ब्लड बैंक स्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (9) मरवाही, पेण्ड्रा एवं गौरेला सी एच सी में डिजिटल एक्सरे एवं पोर्टबल एक्सरे मशीन स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
- (10) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पेण्ड्रा को 30 बिस्तर अस्पताल बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (11) ऐसी एच पेण्ड्रारोड़ में डाक्टरों के रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
- (12) मेडिकल ऑफिसर एवं स्पेशलिस्ट डाक्टरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।
- (13) क्षेत्र में संचालित आयुर्वेद अस्पतालों में रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (14) अस्पताल में स्वीकृत पदों को भरे जाने का उल्लेख नहीं है।
- (15) मरवाही क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पड़े डाक्टरों के पदों पर नियुक्ति किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (16) ऐसी एच सेनेटोरियम पेण्ड्रारोड़ स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों को संचालित करने विशेषज्ञों की पदस्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (17) सिम्स बिलासपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी एवं बंद पड़े मशीनों को चालू करने का उल्लेख नहीं है।
- (18) नर्स एवं वार्ड ब्लाय के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने का उल्लेख नहीं है।

8. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—नया भवन बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही में जिला अस्पताल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) ऐसी एच सेनेटोरियम पेण्ड्रारोड़ में रिक्त पड़े पदों पर पदस्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (4) सी.एच.सी. गौरेला में रिक्त पड़े डाक्टरों के पद पर पदस्थापना का उल्लेख नहीं है।

9. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर चांपा जिला में बलौदा विकासखण्ड के ग्राम कुरगा में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) जांजगीर चांपा जिला के ग्राम पकरीया (ल) में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

- (3) जांजगीर चांपा जिला के ग्राम नगवां में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) जांजगीर चांपा जिला में बलौदा विकासखण्ड के ग्राम छीतापाली में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) जांजगीर चांपा जिला में बलौदा विकासखण्ड के ग्राम डोंगरी में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

10. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम बड़े रबेली में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम छपोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (3) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम देवरघटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (4) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम कुचंदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (5) विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम जर्वे में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पामगढ़ क्षेत्र के ग्राम कोसीर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) पामगढ़ क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों पर नियुक्ति किया जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम डोगा कोहरौद में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भिलौनी में उपस्वास्थ्य केन्द्र के लिये नये भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रसौटा में उपस्वास्थ्य केन्द्र के लिये नया भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (7) प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

12. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जिला अस्पताल धमतरी में सिटी स्कैन सुविधा शुरू करने हेतु बजट में उल्लेख नहीं किया गया है।
- (2) जिला अस्पताल धमतरी में ट्रामा सेंटर खोलने हेतु बजट में उल्लेख नहीं किया गया है।
- (3) विधान सभा क्षेत्र धमतरी के ग्राम रांवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु बजट में उल्लेख नहीं किया गया है।

13. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बलौदा बाजार जिला हास्पिटल में मशीन खरीदी का प्रावधान नहीं है।
- (2) सिमगा ब्लॉक के सुहेला ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र में एकसरे मशीन, बिल्डिंग बनाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

14. श्री उमरुधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) देवभोग जिला गरियाबंद में सिविल हॉस्पिटल खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) देवभोग जिला गरियाबंद में ब्लड बैंक खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) बिन्द्रानवागढ़ जिला गरियाबंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) ग्राम सुपेबेड़ा जिला गरियाबंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं डायलिसिस उपकरण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (5) ग्राम इन्दागांव जिला गरियाबंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

15. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) बेलतरा विधान सभा के ग्रामों में अधूरे निर्माण हुए उपस्वास्थ्य केन्द्रों को पूरा करने हेतु निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) राज्य के मेडिकल कॉलेजों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में सीट बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 79
चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 10,51,63,99,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 51

1. डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बस्तर संभाग को मलेरिया मुक्त करने एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) शासकीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) सभी जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) 6 मेडिकल कॉलेजों को मलटीस्पेशियलिटी अस्पतालों में बदलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) 200 चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) चिकित्सा शिक्षा के लिये प्रदेश में नये शिक्षण संस्थान खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) डॉक्टरों के रिक्त पदों की पूर्ति करने तथा मेडिकल कॉलेजों की सीट बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) मेडिकल कॉलेजों में पी.जी. की सीटों को बढ़ाने के ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

5. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बलौदाबाजार जिले में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 7

वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 2,93,25,38,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 5

1. डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पेट्रोल-डीजल पर वेट टैक्स कम करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पेट्रोल-डीजल पर वेट टैक्स कम करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) उत्पादक राज्य होने कारण जी.एस.टी. से हो रहे वित्तीय नुकसान की भरपाई का उल्लेख नहीं है।
- (2) पेट्रोल-डीजल पर कर कम करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 50

बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रुपये 3,46,75,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 23

1. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्यः एक रुपये की कमी की जावे.

बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

2. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

(1) पर्याप्त बजट आवंटन का उल्लेख नहीं है।

(2) इस मांग संख्या को समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 24

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) बिलहा विकासखंड के पानी टंकी चौक सौंदर्यीकरण का कोई प्रावधान नहीं है।
 - (2) ग्राम पंचायत मंगला तिरता बिल्हा से चतुर्भूज मंदिर मटियारी तक मरम्मत का प्रावधान नहीं है।
 - (3) नगपुरा मार्ग के बुन्देला को जोड़ने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
 - (4) नगपुरा मार्ग के (कड़ार) भाठापारा को जोड़ने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
 - (5) ग्राम पंचायत कोरमी—बाड़ीपारा सड़क निर्माण किये जाने कोई प्रावधान नहीं है।
 - (6) बिल्हा मार्ग के डमरिया को जोड़ने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
 - (7) किरना नदी पर पुल निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
 - (8) यातायात नगर वार्ड क्रमांक—09 बिलासपुर NH130 से राम मंदिर तक सड़क निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
 - (9) ग्राम कोरमी विकासखंड बिल्हा जिला—बिलासपुर प्राथमिक शाला से घूमा रोड तक सड़क निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
 2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
 - (2) प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत् सड़कों के संधारण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
 3. श्री बृजमोहन अग्रवाल : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) जवाहर सेतु योजना के तहत् हर गांव कनेक्टिविटी बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
 - (2) रायपुर के स्काई वाक का कार्य पूर्ण कर प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
 - (3) अटल एक्सप्रेस—वे को पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
 4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) राज्य राजमार्ग के सड़क निर्माण कार्य के संधारण करने का कोई प्रावधान नहीं है।
 - (2) सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय की राशि पर्याप्त नहीं किया गया है।
 5. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) विकासखंड नवागढ़ के ग्राम खोखसा से ग्राम बसंतपुर विकासखंड बलौदा के बीच नाले पर पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
 - (2) हरदी से हड्हामुहान तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

- (3) नैला—बलौदा मार्ग में नये रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (4) ग्राम खैरा (महंत) में भाठापारा जाने वाले मार्ग में नये पुल/सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (5) ग्राम किरीत से नवागढ़ तक जाने वाली नहर के ऊपर तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (6) चांपा में हसदेव नदी पर नवीन पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (7) ग्राम मुख्यालय जांजगीर नगर से चांपा नगर के बीच फोरलेन सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (8) धार्मिक नगरी पीथमपुर से जिला मुख्यालय जांजगीर तक सड़क नवीनीकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

6. श्री पुन्नलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मुंगेली विकासखंड में मुख्यमंत्री सड़क योजना हेतु नवीन सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (2) मुंगेली विकासखंड में नवीन सड़क तथा पुलिया निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

7. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सड़क मरम्मत की राशि सदुपयोग करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (2) सड़क निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

8. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कमगा से अमेरा टिकरा मार्ग में पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) कटरा से गवरखोज मार्ग में चुनता नाले पर पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) कछार से करहनिया मार्ग पर समूदरई नाले पर पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) उसाड़ के केरहाधार नाले पर पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) कंरगरा से बिल्लमगढ़ सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) मांगपुर से सरझपानी सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) ग्राम पतगंवा से बारीउमराव तक सड़क नवीनीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) ग्राम साल्हेकोटा में हाईस्कूल भवन का कोई उल्लेख नहीं है।
- (9) ग्राम लरकोनी में हाईस्कूल भवन का कोई उल्लेख नहीं है।
- (10) ग्राम खुरपा में हाईस्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (11) ग्राम अमारू में हाईस्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (12) ग्राम कुदरी में हाईस्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (13) बगरार से चुकान पहुंच मार्ग में नरवा नाले पर पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (14) मनोरा से बहुटाडोल मार्ग में सोननदी पर पूल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (15) पेणद्वा से बचरवार तक सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

- (16) बेलपत से डुगरा तक नई सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (17) पेण्ड्रा से पतर्गंवा तक सड़क के नवीनीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (18) परासी से भेड़वानाले तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (19) ग्राम गिरवर से नया बस स्टेप्प ऐण्ड्रा तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (20) प्री. मैट्रिक कन्या छात्रावास मरवाही के भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (21) प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास गौरेला के भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (22) प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास मरवाही के भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (23) प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास सकोला के भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (24) प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बस्ती के भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (25) प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भस्कुरा के भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (26) प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बंशीताल के भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (27) प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बरौर के भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (28) प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास धनौली के भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (29) प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास लालपुर के भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (30) प्री. मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बस्ती के भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (31) भवन विहीन कन्या छात्रावास कोडगार में भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (32) पेण्ड्रा में विश्राम गृह निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (33) पेण्ड्रा में तीस बिस्तर चिकित्सालय भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (34) गिरवर से पेण्ड्रा मार्ग में पूल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (35) कोटखरा से बंटीबहेरा पेण्ड्रा मार्ग में तिपान नदी पर पुल बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (36) कोटखरा से बचरवार मार्ग में तिपान नदी पर पुल बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (37) पड़खुरी से झिरनापोड़ी मार्ग पर पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (38) चुकतीपानी के आमानकान नाला पर पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (39) ग्राम कोडगार में हायर सेकण्डरी स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (40) ग्राम अण्डी में नवीन हायर सेकण्डरी स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम दामाखेड़ा विकासखंड सिमगा में कबीर पंथ की भावनाओं के अनुरूप तालाब सौंदर्यीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) ढेकुना से चकरवाय-तुलसी मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) निपनिया से करहीबाजार लहुवा बलौदाबाजार मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) भाटापारा आंतरिक मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) सिमगा नगर के आंतरिक मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) भाटापारा सिद्धबाबा फाटक में अंडरब्रिज निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) भाटापारा बलौदाबाजार मार्ग के रिपेयरिंग का कोई उल्लेख नहीं है।

- (8) भाटापारा खपराडीह से सेंदरी मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (9) ग्राम अवरेंटी निरेका मार्ग के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (10) भाटापारा ग्राम मोपका में पुलिया निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (11) राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम पहुंच मार्ग में उत्तरने हेतु रोड निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

10. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) गौरेला से ज्वालेश्वर मार्ग के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) भदौरा पेण्ड्रारोड से खोडरी पहुंच मार्ग के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) सेमरा तिरहा से दुर्गा मंदिर पेण्ड्रा तक सड़क के नवीनीकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (4) ग्राम पंचायत (बैगा ग्राम) कुरदर और उमरिया-सरगोड़ के बीच 8 कि.मी. सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (5) तेंदुआ ग्राम पंचायत से मर्तिवारा से झालापारा (बैगा ग्राम) तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (6) ग्राम पंचायत सल्का नवागांव से पंडरापथरा तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (7) कोटा नगर पंचायत से लालपुर-बेलगहरा ग्राम पंचायत से दाड़सागर मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (8) ग्राम पंचायत ठेंगाडांड से बहावन डांड ग्राम पंचायत तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (9) ग्राम पंचायत पकरिया में 50 बिस्तरों का अतिथि गृह निर्माण करने का कोई उल्लेख गया है।

11. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बेलतरा विधान सभा के ग्राम बरुवा, सरगाडोड़ी, बरभाठा सड़क निर्माण कार्य कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बेलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बैसा स्कूल चौक के पास गौरवपथ निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (3) बेलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मंगला लोधीपारा सरकंज कोनी मार्ग में अरपा नदी पर पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (4) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पौंसरा में गौरव पथ निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (5) बेलतरा विधान सभा के ग्राम लखराम से सरवन देवरी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (6) बेलतरा विधान सभा के ग्राम पंचायत नगोई में पुरैना तालाब व गोगला तालाब के पास नाला पर पुल निर्माण कार्य हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

12. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भानपुरी, तरसीवा, रांवा मार्ग चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (2) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बागतराई से अमलीडीह सड़क डामरीकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (3) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बोड़रा संबलपुर से बलियारा सड़क डामरीकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (4) रांवा आमदी मेनरोड से उदरदही घासा मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (5) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हाईवे क्रमांक 30 से पूरी, बोड़रा, डाही, देवरी, सिहाद मार्ग चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (6) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत दर्री, खरेंगा, बासा, मोरातराई मार्ग चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (7) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कोड़ेगांव रैयत से सतियारा पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (8) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोड़ेगांव से अकलाडोगरी पहुंच मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (9) बी.सी.एस. महाविद्यालय धमतरी से मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (10) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अकलाडोगरी से लुरुगहन पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (11) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत देमार से उसलापुर पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (12) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नवागांव से बोदाछापर मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (13) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भोथली से कण्डेल पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (14) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत चिखली से तोसी पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (15) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बरारी से गंगरेल पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (16) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मुजगहन नहर मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (17) बरारी से माकरछोना पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (18) बरारी से शंकरवारा पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (19) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत देवपुर से दरगहन एनीकट पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (20) बरारी से रुद्री पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (21) ग्राम तिरा से कोलियारी (पुराना) पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (22) ग्राम मथुराडीह से तेन्दूकोना पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (23) ग्राम मड़वापथरा पारा बरपानी के बीच पुलिया निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (24) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मड़वापथरा से बरपाय मार्ग पर "बरपाय नाले" पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

- (25) कुलेश्वर कार्यालय धमतरी रुद्री से भंटगांव पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (26) ग्राम सेमरा मार्ग के देवरी नाले पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।
- (27) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तरसीवा मार्ग के कुरिया नाले पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (28) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गागरा से पीपरछेड़ी नाले पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (29) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कोलियारी से करेढा मार्ग डामरीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (30) छाती से बोदाछापर केनाल रोड के डामरीकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (31) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खम्हरिया डाही से डोडेसरा मार्ग चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (32) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पूरी से सरसोपुरी से छाती मार्ग डामरीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (33) धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोंगरागहन में हाईस्कूल भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

13. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जोगीडीपा से मुरली के मध्य कंजी नाले पर पुल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लीलागर नदी के ससहा मेला घाट पर पुल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

14. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पाड़ाहरडी से सेमराडीह होने हुए रलमीडीह सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (2) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सालराँदा से आमापाली सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (3) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डोमा से मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (4) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सपोटा से झेरियादीया, मरघटटी तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (5) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तालदेवरी से चोरहादेवरी सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (6) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आमगांव से कारीभांवर सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (7) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्य मार्ग से लिमतरा तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (8) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भोथिया से अकलसरा सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

- (9) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मलनी से खजुरानी तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (10) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत देवरघटा से अरसिया होते हुए धिवरा सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (11) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सेमरिया से करनौद सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (12) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नरियरा से मिरौनी (बैराज) तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (13) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बहेराडीह से हरदीडीह तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (14) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जैजैपुर के गुचकुलिया से करमनडीह सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (15) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत छपोरा, हसौद मार्ग में भेड़ीकोना के पास बोराई नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (16) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अरसिया से बिरा के बीच सोन नदी पर पुलिया निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (17) धनवार पारा सलनी से नावागांव के बीच बोराई नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

15. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) तिल्दा—नेवरा में खरोरा से सिमगा के लिये बायपास सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (2) बी.एन.बी. स्कूल से कोहका कालेज रोड के चौड़ीकरण हेतु कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (3) बलौदाबाजार में शहर के बाहर बायपास सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (4) तिल्दा ब्लॉक में हथबंध—सिलपटी—निनवा सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (5) तिल्दा ब्लॉक में रंडवा से बैकुण्ठ सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

16. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर—चांपा जिले में चंगोरी विकासखंड अकलतरा से मस्तूरी विकासखंड जिला बिलासपुर के लूथरा तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (2) जांजगीर—चांपा जिले में बलौदा विकासखंड अंतर्गत नवागांव से कलमीटार तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (3) जांजगीर—चांपा जिले में बलौदा विकासखंड अंतर्गत खरमोरा से सत्तीगढ़ी सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (4) जांजगीर—चांपा जिले में अकलतरा विकासखंड अंतर्गत पिपरसत्ती से लीलागर नदी तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (5) जांजगीर—चांपा जिले में ग्राम मुलमुला से बिलासपुर जिले के मस्तूरी राष्ट्रीय राज्य मार्ग से जर्जर सड़क के जीर्णोद्धार करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (6) जांजगीर—चांपा जिले अकलतरा विकासखंड के ग्राम सोनडीह से बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड के ग्राम ऊनी सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

- (7) जांजगीर—चांपा जिले के बालौदा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंडरीया से ढोरला सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (8) जांजगीर—चांपा जिले में अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम सोनईडीह से मरकाडीह सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (9) जांजगीर—चांपा जिले में बलौदा विकासखंड के बरभांठा देवरी से कंडरा तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (10) जांजगीर—चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम अर्जुनी से कोटमी सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (11) जांजगीर—चांपा जिले में बलौदा ढोरला से चंदनीया सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (12) जांजगीर—चांपा जिले में अकलतरा विकासखंड अंतर्गत परसाही (बाना) से ढोरला सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (13) जांजगीर—चांपा जिले में अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम तिलाई से मुड़पार सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (14) जांजगीर—चांपा जिले में अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम रसेडा में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (15) जांजगीर—चांपा जिले में अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम कटघरी में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

17. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) लोरमी नगर से ग्राम डोंगरिया से ग्राम धाराघाट तक विकासखंड लोरमी जिला मुंगेली तक डामरीकृत सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (2) ग्राम नवागांव दयासी एवं ग्राम डिडोरी के मध्य नाले पर पुलिया निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (3) ग्राम परसवारा से ग्राम—गुनापुर विकासखंड लोरमी, जिला मुंगेली तक नई सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (4) ग्राम सारधा से ग्राम खुड़िया विकासखंड लोरमी, जिला मुंगेली की नहर में डामरीकृत सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (5) ग्राम कारीडोंगरी विकासखंड लोरमी, जिला मुंगेली में मथियारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

18. श्री उमरुधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) देवभोग, जिला गरियाबंद में नवीन विश्राम गृह बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) देवभोग से गिरशुल होते हुए उड़ीसा सीमा तक सड़क मरम्मत कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) जिला गरियाबंद के देवभोग से अमलीपदर मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) जिला गरियाबंद के ग्राम मुड़गांव से अड़पाथर तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (5) देवभोग से अमलीपदर तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

मांग संख्या— 67
लोक निर्माण कार्य — भवन

मतदेय राशि

रूपये 16,03,32,52,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 19

1. डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

राजनांदगांव हॉकी स्टेडियम फेस-2 के निर्माण हेतु कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अनुरक्षण और मरम्मत के लिये राशि का उल्लेख नहीं है।
- (2) समाज कल्याण संस्थाओं का एकीकृत राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) लोक निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (4) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर परिव्यय हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (5) अस्पताल भवन निर्माण, विस्तार के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
- (6) कुरुद विधान सभा क्षेत्र के भवनों की स्थिति जर्जर है संधारण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (7) निर्मित स्टेडियम के रख-रखाव हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

3. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पुराने जर्जर पुलिस थानों का निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) दामाखेड़ा में आवास नवीन विश्राम गृह निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) कबीर पंथ की भावनाओं के अनुरूप तालाब सौंदर्यकरण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) भाटापारा विधानसभा में टाउन हाल बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) पुलिस आवास गृह निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) भाटापारा विकासखंड के जर्जर हाईस्कूल भवनों के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) अधोसंरचना विकास हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बेलतरा विधान सभा के हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल जो भवनविहीन हैं उनके लिये भवन निर्माण कार्य हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

5. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सिविल लाइन धमतरी में जर्जर शासकीय आवास की जगह नये आवास निर्माण कार्य हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 76

लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मतदेय राशि

रुपये 7,30,00,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 19

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 3

पुलिस

मतदेय राशि

रूपये 5,75,89,89,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 2

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पथरिया नगर पंचायत के पुलिस कालोनी का उल्लेख नहीं है।
- (2) नगर पंचायत सरगांव के थाना भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पुलिस परिवारों की पेंशन में वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला सेल बनाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पुलिस हिरासत में लगातार मौतें हो रही हैं, जिसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) पुलिस सुधार कार्यक्रम के तहत सप्ताह में एक दिन का अवकाश प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) पुलिस कर्मचारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रत्येक थाने में महिला सेल बनाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रशासनिक अकादमी में सही स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) शोध, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

5. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) नगर सेना के वेतन में वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) पुलिस द्वारा अपराधियों को बचाने के संबंध में उल्लेख नहीं है।
- (3) पुलिस में निरापराध व्यक्तियों पर प्रथम सूचना दर्ज करने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

6. श्री अजीत जोगी, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) नये जिले गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में पुलिस कार्यालय भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) पुलिस कल्याण हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सभी कर्मचारियों हेतु पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) सभी पुलिसकर्मियों के आवास की व्यवस्था नहीं करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) पुलिस कर्मचारी को अतिरिक्त भत्ता हेतु राशि प्रावधानीत करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) नवीन पुलिस भर्ती के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) यात्रा भत्ता बढ़ाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) सभी जिलों में पुलिस आवास गृह पर्याप्त क्षमता में निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) पुलिस थानों के डिजिटलाइजेशन हेतु कोई राशि का उल्लेख नहीं है।
- (8) प्रत्येक थानों में महिला सेल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.

बैलगहना चौकी को थाना में उन्नयन करने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री सौरभ सिंह, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर-चांपा जिले में बलौदा थाना का अहाता निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) जांजगीर-चांपा जिले में पंतोरा चौकी का अहाता निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा थाना का अहाता निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पुलिस आवास, पुलिस को आधुनिक साज-सज्जा, जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट आदि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ससहा में नवीन पुलिस चौकी खोलने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 4

गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

मतदेय राशि

रूपये 1,32,85,97,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 2

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

होमगार्ड के मानदेय बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मानव तस्करी रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) महिलाओं की सुरक्षा पर कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश से गायब हुई लाखों युवतियों की पतासाजी कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) अन्य राज्यों में बंधक मजदूरों को लाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) नगर सेवा के जवानों को पुलिस जैसी सुविधा एवं वेतन देने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत जवानों का कम से कम 2 करोड़ रूपये का बीमा कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) नक्सली समस्या उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) सिवनी, खोड़री, कोडगार में नया थाना बोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (9) प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए ठोस कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (10) यातायात व्यवस्था सुधारने की कार्य योजना बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (11) अन्य राज्यों की अवैध शराब को छत्तीसगढ़ में विक्रय से रोकने की कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (12) प्रदेश के सभी जिलों में फायर स्टेशन बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (13) पुलिस कर्मियों की आवास संबंधी समस्या निराकरण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (14) पुलिस कर्मियों का यात्रा भत्ता बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (15) नक्सल प्रभावित इलाके में फर्जी मुठभेड़ रोकने के उपाय का कोई उल्लेख नहीं है।
- (16) मानव अधिकारों की रक्षा करने की नीति बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (17) चिटफण्ड कम्पनी से ठगी का शिकार हुए लोगों को राशि वापस करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (18) नक्सल समस्या समाधान के लिए विशेष रणनीति का कोई उल्लेख नहीं है।
- (19) कोटमी चौकी का थाने में उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।
- (20) थानों में पुलिस जवानों की कमी दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सभी थानों में पर्याप्त वाहन व्यवस्था हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) कोचियों और अवैध शराब विक्रय पर अंकुश लगाने हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

- (3) पुलिस कर्मचारियों को वर्दी भत्ता वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) भाटापारा, सिमगा थानों में पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है।
- (5) भाटापारा—बलौदाबाजार जिले में नवीन पुलिस थाना खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (6) महिलाओं की सुरक्षा हेतु ठोस उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

4. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नया जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में महिला थाना खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

चिटफंड कम्पनी द्वारा ठगी के शिकार हुए लोगों की राशि वापस करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.

धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छाती में पुलिस चौकी निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री उमरुधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) खोखमा (ध्रुवागुड़ी) विकासखंड मैनपुर में पुलिस चौकी खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम रसेला विकासखंड छुरा जिला गरियाबंद में पुलिस चौकी खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 5

जेल

मतदेय राशि

रूपये 1,96,70,84,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 3

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

बिलासपुर में नवीन जेल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बंदियों के कौशल उन्नयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) जेल ब्रेक के बारे में और कैदियों के इलाज के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जेलों में बंद कैदियों को अच्छा इंसान बनाने के लिए जेल में प्रबोधन कार्यक्रम कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) जेलों में सेटअप के अनुसार कर्मियों की भर्ती एवं प्रमोशन का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) उपजेल अधीक्षक भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) जेलों की व्यवस्था सुधारने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जेलों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है।

5. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.

गौरेला उपजेल में प्रतीक्षालय निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 51
धार्मिक न्यास और धर्मस्व

मतदेय राशि

रूपये 17,76,50,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 7

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) भुतकेश्वर महादेव धौतभाठा में धर्मशाला निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) घुठेली को पर्यटन स्थल बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) ताला पर्यटन स्थल का सौंदर्यीकरण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के धार्मिक न्यासों में कुप्रबंधन व्याप्त है नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा को पुनः प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) दामाखेड़ा तीर्थ स्थल कमो और विकसित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्राचीन तीर्थ स्थल ज्यालेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण प्रवेश द्वारा निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) पौराणिक ग्राम धनपुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) रायपुर में हज हाउस खोलने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (5) तीर्थस्थल गिरोधपुरी का समुचित विकास करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- (6) मंदिरों में पुजारियों को मानदेय प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) देवगुड़ी के संरक्षण करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (8) प्रदेश के ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक स्थलों के संरक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (9) मंदिरों के जीर्णोद्धार के प्रावधानों का कोई उल्लेख गया है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

शासन द्वारा संचालित धार्मिक न्यासों व मंदिरों में पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) माई की मङ्डवा तीर्थ स्थल को विकसित करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रसिद्ध तीर्थस्थल महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण तथा प्रवेश द्वार निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री उमरुधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) भाटीगढ़ बिपैरी उदगम स्थल विकासखंड मैनपुर, जिला—गरियाबंद को पर्यटन स्थल बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) जिला गरियाबंद, विकासखंड देवभोग के ऋषिझरन को पर्यटन स्थल बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) जिला गरियाबंद, विकासखंड मैनपुर के कांदाडोगर को पर्यटन स्थल बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धार्मिक स्थल सोमनाथ धाम (लखना) का सौंदर्यकरण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 37

पर्यटन

मतदेय राशि

रुपये 1,03,50,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 30

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) मदकूदीप को पर्यटन की दृष्टिकोण से बढ़ाये जाने हेतु राशि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) भूतकेश्वर महादेव स्थल धौरामाठा को पर्यटन स्थल घोषित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम पंचायत मोहभट्टा बिल्हा व मेला स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) जिला पर्यटन की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) पर्यटन मंडल में अनियमित कर्मचारियों की नौकरी से छुट्टी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

पर्यटन पर पूँजी व्यय परिव्यय हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।

4. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) समुदलई मरवारही को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) राजमेरगढ़ को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) पर्यटन विकास की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (4) झोझा जल प्रपात को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) पौराणिक ग्राम धनपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने का कोई है।
- (6) सोननदी का उद्गम स्थल सोनकुण्ड (पेण्ड्रा) का पर्यटन केन्द्र के रूप में बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) भाटापारा के धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) कबीर पंथ के तीर्थ स्थली दामाखेड़ा को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के पर्यटन स्थलों में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराकर सैलानियों को आकर्षित करने का उल्लेख नहीं है।

- 6. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य :** एक रूपये की कमी की जावे।
- (1) जिला मुंगेली, विकासखंड लोरमी, ग्राम के कंचनपुर में अचानकमार टाईगर रिजर्व का प्रवेश द्वार प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
 - (2) जिला मुंगेली, विकासखंड लोरमी, ग्राम खुड़िया को पर्यटन स्थल बनाने का उल्लेख नहीं है।

- 7. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य :** एक रूपये की कमी की जावे।
खारंग जलाशय को पर्यटन के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।